

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी— श्री ओ०पी० बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 18/2016

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

अप्रार्थी

बनाम्

1. पुरषोतम खत्री पुत्र जवान मल खत्री जाति खत्री निवासी गायत्री चौक, लक्ष्मी बाजार बाड़मेर (फर्म मैसर्स जे.एम.मोटेल एण्ड रिसोर्टस (गुडाल रेस्टोरेन्ट) नेशनल हाईवे कुशल वाटिका के पास, बाड़मेर का प्रो.)
2. संजय पुत्र पुरषोतम जाति खत्री निवासी गायत्री चौक बाड़मेर जिला बाड़मेर (फर्म मैनेजर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 11.02.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2016 को प्रातः 11.00 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसिलसिले निरीक्षण करते हुए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर फर्म मैसर्स जे.एम. मोटेल एण्ड रिसोर्टस (गुडाल रेस्टोरेन्ट) नेशनल हाईवे, कुशल वाटिका के पास, बाड़मेर पहुँचने फर्म का मैनेजर संजय पुत्र पुरषोतम जाति खत्री निवासी गायत्री चौक बाड़मेर जिला बाड़मेर (फर्म मैसर्स जे.एम. मोटेल एण्ड रिसोर्टस (गुडाल रेस्टोरेन्ट) नेशनल हाईवे, कुशल वाटिका के पास, बाड़मेर का प्रो.) मिले। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर रेस्टोरेन्ट के किचन में पनीर (खुला) करीबन दो किलोग्राम पाया गया जो रेस्टोरेन्ट में सब्जी बना कर आम जनता को बेचने हेतु काम में लिया जा रहा था। पनीर (खुला) में मिलावट का सन्देह होने पर उसमें से एक किलोग्राम (250-250 ग्राम) खरीदा, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 300/- रुपये किया गया। पनीर (खुला) को चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया, उक्त प्रत्येक शीशी में 20-20 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर ढक्कन टाईट बंद किया, प्रत्येक शीशी पर नियमानुसार विवरण स्लीप चिपकाई गई, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी 656 चिपकाकर



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

11
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहों के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-656 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियों पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) नमूना पी-656 की जाँच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/565/एक्ट/2016/597 दिनांक 09.06.2016 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें पनीर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.656 जाँच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।



2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करते हुए निस्तारण करने का निवेदन किया।
3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 16.05.2016 को राज.सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच करने हेतु मैसर्स जे.एम. मोटेल एण्ड रिसोर्ट्स (गुडाल रेस्टोरेन्ट) नेशनल हाईवे, कुशल वाटिका के पास, बाड़मेर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेन्ट के किचन में करीबन दो किलोग्राम पनीर (खुला) आम जनता को सब्जी के रूप में बेचने हेतु रखा हुआ पाया गया। पनीर (खुला) का नमूना पी.656

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/565/एक्ट/2016/597 दिनांक 09.06.2016 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा अपने रेस्टोरेन्ट में सब्जी के रूप में विक्रय किये जा रहे पनीर (खुला) का नमूना पी. 656 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का पनीर रखने एवं उसे सब्जी के रूप में बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण पुरषोतम खत्री व संजय प्रत्येक पर रूपये 2500/- 2500/-(अक्षरे रूपये ढाई-ढाई हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 11.02.2017 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओपीओ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज तारीख 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर